आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –51 / 2022

कमल कृष्ण

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
18.01.2023	यह पुनरीक्षणवाद माननीय पटना उच्च न्यायालय, बिहार, में दायर CWJC No. 10469/2021 कमल कृष्ण बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 04.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि :– "The matter has been heard via video conferencing. The learned counsel for the petitioner submits that the petitioner may be allowed to withdrawn the writ petition with liberty to raise the grievances, mentioned in para-01 of the writ petition, before the concerned Divisional Commissioner within a period of four weeks from, today, the same shall be considered on merits and disposed off within a period of eight weeks, thereafter. Accordingly, the present writ petition stands disposed off as withdrawn with the aforesaid liberty." प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में संपन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक दिनांक 03. 01.2020 को कोटि क्रमांक 934 अनुसूचित जाति दिव्यांग कोटि में बिनोद कुमार रजक, पिता–श्री रामविलास रजक, ग्राम–पो0–बरजी, पंचायत–बरजी, प्रखंड–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर के चयन के विरूद्व दायर किया गया है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुनरीक्षणकर्ता का दावा है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अभ्यर्थिता को सही पाया गया और चयन के लिए अनुशंसा की गयी है तथा क्रम संख्या–02 पर विजय कुमार क्रम संख्या–03 पर विनोद कुमार रजक का जन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु इनकी अनुशंसा नहीं की गयी।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर के अनुसार अनुसूचित जाति दिव्यांग कोटि के लिए रिक्ति थी, जिसकी सभी अर्हताएं विनोद कुमार रजक पूरा करते हैं इसलिए उनका चयन हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक इण्टरमिडियट द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण है तथा कम्प्यूटर का ज्ञान भी धारित करते है, परंतु विकलांग नहीं है। अभिलेख में विकलांगता के संदर्भ में कोई भी प्रमाण पत्र संधारीत नहीं है उनके द्वारा विकलांगता का दावा भी नहीं किया गया है, जबकि यह कोटि क्रमांक अनुसूचित जाति दिव्यांग के लिए आरक्षित है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों/अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2020 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विनोद कुमार रजक, पिता–श्री राम विलास रजक, ग्राम+पो0–बरजी, जिला–मुजफ्फरपुर का चयन इस कोटि क्रमांक के लिए पुरी अर्हता धारित करने के पश्चात इनका चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया गया है, जो सही एवं नियमानुकूल है।निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न विनोद कुमार रजक का विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रमाणित/स्वअभिप्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) ओदश, 2016 की कंडिका–9(V) के प्रावधानों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक–03.01.2020 को लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत

WEB COPY NOT OFFICIAL

	किया जाता है तथा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को विनोद कुमार रजक के विकलांगता प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL